राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.56/मुसप्र/प्रशासन शहरों की ओर/2013/463 दिनांकः– 26/6/13

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर,
वृत्त–प्रथम/द्वितीय, जोधपुर,
वृत्त–कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर,
राजस्थान आवासन मण्डल,
.... ।

विषय :– प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012–2013 की अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.3(54)नविवि/3/2011. जयपुर, दिनांक 19.06.2013.

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा कमांक 193/2012 के कम में विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक 1159 दिनांक 09.01.2013 के द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012" के दौरान शिविर की अवधि दिनांक 21 नवम्बर से 25 दिसम्बर 2012 रखी गई थी तथा अभियान का Follow-up कार्य प्रत्येक नगर निकाय के कार्यालय में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

राज्य सरकार के द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय के कम में Follow-up अवधि को दिनांक 30.06.2013 तक बढाई गई तत्पश्चात् पुनः दिनांक 31.07.2013 तक प्रशासन शहरों के संग अभियान को बढाई जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जिन मामलों मे कोई वितीय छूट/रियायत का सम्बन्ध नहीं है और जो केवल प्रशासनिक मामले है उन मामलों मे दिनांक 31.07.2013 तक प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जावे। वितीय छूट/रियायत के प्रकरणों में वित्त विभाग से आदेश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

उक्त अवधि में Follow-up शिविरों का आयोजन संबंधित वृत्त कार्यालयों में किया जावेगा और इस सम्बन्ध में अपने कार्यालय में होर्डिंग/फ्लैक्स, बोर्ड इत्यादि लगवाकर समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जावें।

उक्त अभियान के दौरान निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से प्रतिदिन/साप्ताहिक सूचनाए संकलित की जाकर आवासन मण्डल मुख्यालय/सम्बन्धित स्थानीय निकायों, नगरीय विकास विभाग एवं संबंधित जिला कलेक्टर को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए पालना रिपोर्ट अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित की जावे।

(डॉ0आर0 वेंकटेश्वरन्)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग को जयपुर को उनके पत्र कमांक पं3(54) नविवि/3/2011 दिनांक 19.06.2013 को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि), राज0 आ0 म0,जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी.एण्ड.एम,राज0 आ0 म0,जयपुर।
6. सहायक कम्प्यूटर प्रोगामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब साईट पर डलवायें व सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को ई–मेल करवायें।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड...............राज0 आ0 मण्डल........................ ।

(टीकम चन्द बोहरा)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक